

कार्यालय महानिदेशक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने दो व्यवस्थापको के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति के मामले में मुकदमा दर्ज कर किया सर्च

जयपुर 17 सितंबर 2019। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, मुख्यालय इंटेलिजेंस शाखा की गोपनीय सूचना के आधार पर भोम सिंह हाल व्यवस्थापक ग्राम सेवा सहकारी समिति सोलंकिया तला तहसील शेरगढ़ जिला जोधपुर तथा खेत सिंह हाल व्यवस्थापक ग्राम सेवा सहकारी समिति सेखला तहसील शेरगढ़ जिला जोधपुर जो कि दोनों वर्तमान में हत्या के लिए उकसाने के मुकदमे में न्यायिक अभिरक्षा में है के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति के मामले में मुकदमा दर्ज कर आज एसीबी की चार टीमों द्वारा दोनों के जोधपुर तहसील शेरगढ़ में निवास स्थान एवं कार्यालय पर सर्च की कार्यवाही की गई।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो महानिदेशक श्री आलोक त्रिपाठी के निर्देशन में की गई सर्च कार्यवाही में भोम सिंह हाल व्यवस्थापक ग्राम सहकारी समिति सोलंकिया तला तहसील शेरगढ़ के विभिन्न जगहों पर सर्च कार्रवाई में निम्नांकित चल- अचल संपत्ति के कागजात :-

1. भोम सिंह स्वयं के नाम लगभग 25 बीघा कृषि भूमि तहसील शेरगढ़ के ग्राम बापूनगर]सोलंकिया एवं लालसिंह नगर के कागजात मिले।
2. भोम सिंह स्वयं के नाम एक मकान लगभग एक बीघा जमीन में ग्राम सोलंकिया तला में।
3. आबादी क्षेत्र शेरगढ़ में कुल 1350 वर्ग फीट भूखंड के कागजात।
4. एक भूखंड न्यू शेरगढ़ कॉलोनी में साइज 12×30 फीट के कागजात।

5. भोम सिंह स्वयं के विभिन्न बैंक खातों में 7 लाख 11 हजार 205 रुपए नगद जमा के कागजात।

भोम सिंह के खिलाफ पुलिस थाना शेरगढ़ जिला जोधपुर में प्रकरण संख्या 139/2019 में धारा 102 सीआरपीसी में थाने में 23 लाख 39 हजार 305 रुपए जप्त होना पाये।

कुल लगभग 59 लाख रूपये की चल अचल परिसंपत्तियों वैध घोषित आय से अनुपातिक रूप से अधिक अर्जित करना पाया गया।

खेत सिंह व्यवस्थापक ग्राम सहकार समिति सेखाला तहसील शेरगढ़ जिला जोधपुर के सर्व कार्वाई में निम्नांकित चल अचल परिसंपत्तियों के कागजात मिले :-

1. खेत सिंह स्वयं के नाम लगभग 25 बीघा कृषि भूमि तहसील शेरगढ़ के ग्राम बापूनगर, सोलंकिया एवं लालसिंह नगर के कागजात मिले।
2. खेत सिंह स्वयं के नाम एक मकान लगभग 1.5 बीघा जमीन में ग्राम सोलंकिया तला में।
3. खेत सिंह स्वयं के नाम एक मकान लगभग 1 बीघा जमीन में ग्राम सोलंकिया तला में के कागजात।
4. खेत सिंह स्वयं के नाम आबादी क्षेत्र शेरगढ़ में लगभग 1500 वर्ग फीट के 2 भूखंडों के कागजात।
5. खेत सिंह स्वयं के नाम ग्राम गुर्जर वास खुर्द तहसील सुरपुरा भूखंड संख्या 38,39 एवं 40 लगभग 4720 वर्ग फुट के भूखंडों के कागजात।
6. खेत सिंह स्वयं के नाम भोमिया जी का थान बालेसर में एक खान के कागजात।
7. खेत सिंह स्वयं के नाम लगभग 360 वर्ग गज, राजपूत कॉलोनी साकड़ा रोड पोखरण में दो आवासीय भूखंड के कागजात।
8. खेत सिंह स्वयं के नाम स्वयं के विभिन्न बैंक खातों में 8 लाख 33 हजार 917 रुपए नगद जमा के कागजात।

कुल लगभग 76 लाख रुपये की चल अचल परिसंपत्तियों वैध घोषित आय से अनुपातिक रूप से अधिक अर्जित करना पाया गया।

सर्च के दौरान व्यवस्थापक खेत सिंह के निवास स्थान से डेढ़ सौ किलो की गोदरेज का लॉकर भी मिला जिसकी तलाशी की जाना शेष है।

भष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने दोनों व्यवस्थापक के विरुद्ध ज्ञात वैध आय से अधिक परिसंपत्तियां अर्जित करने में मुकदमा दर्ज किया गया।

दोनों मुकदमों में अनुसंधान अधिकारी भष्टाचार निरोधक ब्यूरो सिरोही अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री नारायण सिंह राजपुरोहित है।